

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 23/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2018

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में और बोर्ड की फ़ाइल स. 437/103/2013-Cus. IV से जारी आदेश दिनांक 18.02.2014 के अधिक्रमण में एतद्वारा अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली को मै. मेहता ओवरसीस और अन्य को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसो फा. स. 50D/43/2011 दिनांक 17.07.2012 (जब्त माल के लिए) और 29.11.2013 (पुराने आयात माल के लिए) के मामले में समान न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-20/2018-CI]

(सुचेता श्रीजेश)

अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली
2. आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली
3. आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ को उनके पत्र सं फा. सं. S/26-165/2013-14/Adj(I) JNCH दिनांक 12.10.2018 के संदर्भ में.
4. आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली
5. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली